सिंचाई अनुसंधान संस्थान व अन्य

बनाम

कृपाल सिंह

दिसम्बर 7, 2007

(डॉ. अरिजित पसायत और डी.के. जैन जे.जे.)

उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 6(एन)-औद्योगिक विवाद-सेवा की समाप्ति में प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप-विवाद को उठाने में 8 साल की देरी-कार्य दिवसों की गणना-श्रम न्यायालय ने इसे 240 दिनों से कम माना-उच्च न्यायालय ने इसे 240 दिनों से अधिक होना मानते हुये यह मत व्यक्त किया कि कार्य दिवसों की गणना में श्रम न्यायालय ने छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा गया-अपील पर अभिनिर्धारण : उच्च न्यायालय का आदेश तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण के बिना था-क्योंकि कार्य दिवसों की गणना में छुट्टियों को शामिल करने के बारे में भ्रम, मामले को श्रम न्यायालय को भिजवाया गया-देरी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा राहत को संशोधित किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी- कर्मकार ने औद्योगिक विवाद उठाते हुये यह आरोपित किया कि बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवाओं की समाप्ति उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम **1947** की धारा **6(**एन**)** के प्रावधान का उल्लंघन था। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने एक कैलेण्डर वर्ष में **240** दिनों तक कार्य नहीं किया। इसलिये, धारा **6(**एन**)** का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अवार्ड को चुनौती देने वाली रिट याचिका में

उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रम न्यायालय ने छुट्टियों को छोड़कर कार्यदिवसों की गणना की और यह कि यदि छुट्टियों को ध्यान में रखा जाता तो कर्मकारों ने 240 दिनों से अधिक कार्य किया। उच्च न्यायालय 8 साल देरी से विवाद उठाने की दलील को नकार दिया। कर्मकार के पक्ष में आदेश पारित किया। परिणामतः यह वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील आंशिक रूप से मंजूर और मामले को औद्योगिक अधिकरण, न्यायालय को प्रेषित किया।

अभिनिर्धारितः पेश हुये मास्टर रोल की प्रमाणिकता को कर्मकार प्रत्यर्थी ने विवादित नहीं किया। 8 साल देरी से मामले को उठाने के प्रभाव को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

यह विवादित नहीं कि श्रम न्यायालय, देरी से लाये गये विवाद के आधार पर रेफरेन्स का उत्तर देने से मना नहीं कर सकती है। लेकिन वह निश्चित रूप से अनुतोष में सुधार सकता है। उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण नहीं किया। वस्तुतः उच्च न्यायालय यह ध्यान में रखने में विफल रहा कि श्रम न्यायालय ने वास्तविक दिनों को ध्यान में रखा था, जब कर्मकार प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) ने काम किया था और छुट्टियों की संख्याओं को भी ध्यान में रखा। इसके पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मकार प्रत्यर्थी ने वस्तुतः 220 दिन कार्य किया। चूंकि उपरोक्त समान रूप से यह संशय है कि छुट्टियों की गणना की गई अथवा नहीं एवं कर्मकार ने 240 दिन कार्य किया या नहीं इसलिये मामले को वास्तविक दिनों की गणना जिनमें कर्मकार प्रत्यर्थी द्वारा कार्य किया है, के लिये एवं देरी से विवाद उठाने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अनुतोष दिया जाना है तो अनुतोष को संशोधित

करें। **[Para 8] [1147-A,B,C]**

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या **5680** वर्ष **2007**

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की रिट याचिका संख्या 866/2004 (एम एस) में पारित निर्णय आदेश दिनांक 18.11.2015 से।

अभिषेक अत्रे और पी.एन.गुप्ता -अपीलार्थी की ओर से।

अमिता गुप्ता-उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय के द्वारा पारित किया गया-

डॉ. अरिजीत पसायत जे.जे.

1. अनुमति दी गई,

2. इस अपील में नैनीताल उत्तरांचल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूर किये जाने के फैसले को चुनौती दी गई।

3. पृष्ठभूमि के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः-

प्रत्यर्थी कर्मकार ने यह कहते हुये विवाद उठाया कि उसे कथित रूप से बिना कोई पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जाना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 6(एन) का उल्लंघन है।

निम्नलिखित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये श्रम न्यायालय को रेफरेन्स दिया गया था।

> "क्या नियोक्ताओं के द्वारा दिनांक 04.06.2019 को श्री कृपाल सिंह पुत्र उदय सिंह की सेवा की समाप्ति न्यायसंगत या कानूनी है? यदि नहीं तो सम्बन्धित कर्मकार किस लाभ/मुआवजे के लिये एवं किस हद तक

हकदार है?"

4. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी का यह आधार है कि उसने बेलदार के पद पर कार्य किया और उसका नाम मस्टररोल में 01.02.1991 से 03.06.1992 तक एच-2 डिवीजन में अंकित है और उसे बिना कोई नोटिस दिये उसकी सेवा से दिनांक 04.06.1992 से हटा दिया गया। औद्योगिक न्यायालय ने पत्रावली पर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी कर्मकार ने किसी भी कलैण्डर वर्ष में 240 दिन तक कार्य नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 6(एन) के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रम न्यायालय के आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि श्रम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान अपीलार्थीगण के विवरण में जो दिवसों की संख्या बताई थी वह मस्टररोल जो प्रस्तुत हुआ है उसमें दिखाई गई संख्या के समान थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि मस्टररोल से यह स्पष्ट इंगित हो रहा है कि कर्मकार ने जो वास्तविक दिनों में काम किया वह छुट्टियों के दिनों के साथ नहीं थे और दर्शायी गई छुट्टियों को यदि वास्तविक दिनों की गणना में शामिल किया जाता है तो कर्मकार प्रत्यर्थी ने 240 दिनों से अधिक का कार्य किया है। उच्च न्यायालय ने मौजूदा अपीलार्थीगण की इस दलील में कोई सार नहीं पाया कि कर्मकार द्वारा 8 साल के विलम्ब से विवाद को उठाया गया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी कर्मकार स्वयं ने यह कहा था कि वह हमेशा कार्य करने के लिए तैयार एवं इच्छुक था और चूंकि नियोक्ता ने ही उसे काम नहीं दिया इसलिए पूरे

महीने के दिन उसके कार्यदिवसों में इस आधार पर जोड़े जाने चाहिए थे और उसने इस बात की गणना पेश की कि उसने 308 दिन का कार्य किया है और यह बताया गया है कि श्रम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि श्रम न्यायालय द्वारा दायर और जांचे गये विवरणों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रचलित कानूनों के अनुसार गणना की जाने वाली छुट्टियों को उस मामले के विवरण पर काम करते समय शामिल किया गया है जिस पर कर्मकार ने काम किया था। उच्च न्यायालय ने करीब 8 साल बाद उठे मौजूदा विवाद के असर पर भी विचार नहीं किया।

6. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कानून के सही सिद्धान्तों को लागू किया है।

7. वर्तमान में उठाया गया तथ्यात्मक विवाद वास्तविक प्रासंगिक नहीं है।

8. यह देखा जाना चाहिए कि प्रस्तुत मस्टर रोल की प्रमाणिकता पर प्रतिवादी कर्मचारी द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था। करीब 8 साल बाद उठे विवाद के असर पर भी विचार नहीं किया गया। यह विवादित नहीं है कि श्रम न्यायालय विलंबित दृष्टिकोण के कारण रेफरेन्स का उत्तर देने से इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से राहत को नियंत्रित/परिवर्तित कर सकता है। उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण नहीं किया था। वास्तव में उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में असफल रहा कि श्रम न्यायालय ने उन वास्तविक दिनों को ध्यान में रखा था जब प्रतिवादी ने काम किया था और छुट्टियों की संख्या को ध्यान में रखा जाना था। इसके बाद यह माना गया कि

कर्मकार ने वास्तव में 220 दिन काम किया था क्योंकि इसी तरह का संशय है कि क्या छुट्टियों की गणना की गई है या नहीं और क्या कर्मकार ने वास्तव में 240 दिनों से अधिक काम किया है। हम मामले को अधिकरण को उन वास्तविक दिनों की गणना करने के लिए भेजते हैं जिनके लिए प्रतिवादी ने काम किया था और फिर विलंबित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई राहत दी जाती है तो उसे संशोधित करें। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

9. बिना किसी हर्जे के उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय शुक्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।